न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 460–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–12–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 68/निगरानी/2011–12.

रघुनाथ आत्मज स्व. मिश्रीलाल
निवासी एवं कृषक ग्राम फन्दाकलां
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

मोहन सिंह आत्मज शिवचरण
निवासी ग्राम फन्दाकलां
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....अनावेदक

श्री जे0पी0 त्यागी, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, हुजूर के समक्ष ग्राम फन्दाकलां तहसील हुजूर स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 530/2 रकबा 1.065 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 177/अ–12/09–10 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 6–5–10 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–12–12 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 25–10–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदक की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सर्वे कमांक 530 का बटान नक्शा में नहीं दर्शाया गया है, और न ही सर्वे कमांक 530/1 व सर्वे कमांक 530/2 में भूमिस्वामियों द्वारा संयुक्त रूप से बटान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा सर्वे कमांक 530/2 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वे कमांक 530 का सीमांकन चाहा गया है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।.

(2) तहसील न्यायालय द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख को सीमांकन का आदेश दिया गया है, और अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा बिना भूमिस्वामी शिवनारायण से आवेदन पत्र बुलाये, घर बैठे–बैठे सीमांकन करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

(3) सीमांकन की सूचना आवेदक को नहीं दिये जाने से पंचनामा पर उसके द्वारा हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा बिना अभिलेख बुलाये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो कि आदेश दिनांक 6–12–2012 से निरस्त कर दी गई है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है, और सीमांकन में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारो एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन

किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदक को सूचना दी जाकर आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कराया गया है, और मौके पर सीमांकन पंचनामा एवं फील्ड बुक तैयार की गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर